सा. मि

1/6/2022

मौका रिपोर्ट

(धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मै मंगलाराम मेहरा भू. अभि. निरीक्षक वृत जायल कार्यालय तहसीलदार जायल के आदेश कमांक ____ दिनांक ____ की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 15/05/2022 समय ____ बजे आराजी ख.न. 200/508, 200 वाके ग्राम गोरधा ओपा पटवार मण्डल गोरधा ओपा पर श्री ओमप्रकाश [illegible] पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी जायल के राजस्व वाद संख्या 38/2021 शेराराम बनाम सरकार की पालना में समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय /भू.अभि. निरीक्षक वृत से नोटिस कमांक SPL-1 दिनांक 10/05/2022 द्वारा जारी किये गये थे। जिसकी तामिल विधिवत रूप से करवाई गई समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न प्रकार उपस्थित थे।

क.सं.	नाममय वलदियत	उम्र	जाति	प्रार्थी /अप्रार्थी
1	शेराराम S/o शिवराम	57	जाट	प्रार्थी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मूआयना किया गया एवं तदनुसार मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई।

1. प्रार्थीगण के खेत में वांछित रास्ता ही मात्र रास्ता है। अन्य कोई रास्ता नही है। वर्तमान में प्रार्थीगण इसी रास्ते से आनाजाना करता है।
2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है
3. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर वर्तमान कोई कच्चा-पक्का निर्माण नही है।
4. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते का 210×20 वर्गफुट = 4200 वर्गफुट अर्थात - 0-0390 है। इस प्रकार वर्तमान डी एल सी दर के दो गुना

मंगला [illegible] [illegible]

P.T.O.

है 0.0390 हे. × 413246 = 16116 5 कीमत बनती है

उक्त प्रकरण से सम्बन्धित जमाबंदी नकलें, नक्शा ट्रेस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

[illegible]
[illegible]

[illegible]
15/06/2021
[illegible]

[illegible]

वीरेन्द्र

([illegible])

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढकर सुनाई गई उपस्थित पक्षकारों ने पढ, सुन एवं समझकर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये गये ।

क.सं.	नाममय वलदियत	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी /अप्रार्थी
1	शेराराम / शिवराम	जाट	शेराराम	प्रार्थीगण
2	विरेन्द्र सिंह / शेराराम	जाट	विरेन्द्र	—
	Nil			

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ, सुन व समझकर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

क.सं.	नाममय वलदियत	जाति	प्रार्थी /अप्रार्थी
	Nil		

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढकर सुनवाई गई और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये।

क.सं.	नाममय वलदियत	जाति	उम्र	पता /मो.न.
1	विरेन्द्र सिंह / शेराराम	जाट	23 वर्ष	मोखा का बास 6375614639
2	जानी देवी w/o शेराराम	जाट	55 वर्ष	—
	Nil			

विरेन्द्र

(ज.नि. जानी देवी)

इस प्रकार आज दिनांक 15/05/2022 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

हस्ताक्षर पटवारी Gopal

हस्ताक्षर भू.अभि.निरीक्षक

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला-नागौर

पीठासीन अधिकारी-रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 38/2021

प्रार्थी :-

1. फेफाराम
2. शेराराम पुत्रगण शिवराम
3. केशर पत्नी शिवराम, जातियान-जाट, निवासीगण-जोचिणा,तहसील-जायल जिला-नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 1 राजपेरोकार उपस्थित।

दिनांक : 20/07/2022

- : : आदेश : : -

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी 1 व 2 की खातेदारी के खेताय मौजा जोचिणा तहसील-जायल में खसरा नं. 36 रकबा 1.0926 हैक्टैयर व प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के संयुक्त हक बंट में खसरा नंबर 200/508 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढाणी मौजा नोखा जोधा के रूप में स्थित है। मौजा नोखा जोधा का खसरा नंबर 200 गैर मुमकिन मंगरा है तथा खसरा नंबर 200 गैर मुमकीन मंगरा में से प्रार्थीगण को 200/508 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढाणी की जगह एलोटमेंट हो रखी है। खसरा नबर 200 गैर मुमकिन मंगरा नोखा जोधा तथा इस खसरे के पूर्वी तरफ चिपती ही कांकड़ जोचिणा की आई हुई है। खसरा नंबर 200/508 के पूर्वी तरफ प्रार्थी नंबर 1 व 2 के सहखातेदारी का खेत खसरा नंबर 36 आया हुआ है। प्रार्थना पत्र के साथ नजरीनक्शा पेश किया जा रहा है। जो प्रार्थना पत्र का ही अभिन्न भाग है। खसरा नंबर 200/508 रकबा 0.0405 हैक्टेयर नोखा जोधा व खसरा नंबर 36 रकबा 1.0926 के मध्य नोखा जोधा व जोचिणा की कांकड़ माठ आई हुई है। खसरा नंबर 200/508 के पूर्वी तरफ मूल खसरा नंवर 200 की 20 फुट जगह है। इस के मध्य की भूमि को प्रार्थीगण को नजरीनक्शा मार्क ए से बी 20 फीट चौड़ाई में प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खसरा नंबर 36 में जाने आने के लिये रास्ते की आवश्यकता है तथा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण नजरीनक्शा मार्क ए से बी से काश्त करषण करते आते रहते है। इसी रास्ते से गाड़ी ,छकड़ा

20/7/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

इत्यादि को लाते व ले जाते है। इसलिये मार्क ए से बी नजरीनक्शा 20 फीट चौड़ाई का रास्ता न्यायहित में प्रार्थीगण के घोषित किया जाना न्यायोचित है। मौजा नोखा जोधा का खसरा नंबर 200 रकबा 1.3112 हैक्टेयर गैर मुमकिन मंगरा राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। उक्त रास्ता नियमन योग्य है। श्रीमान् तहसीलदार राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी है। इसलिये धारा 80 (2) सीपीसी के तहत पृथक से नोटिस देकर प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नंबर 36 में आने जाने हेतु रास्ता मार्क ए से बी मौजा नोखा जोधा के खसरा नंबर 200 में से 20 फीट चौडाई का मार्क ए से बी घोषित किया जावे। 20 फीट चौड़ाई के रास्ते हेतु जो भी सरकारी कीमत तय होगी प्रार्थीगण उक्त राशि राज्य सरकार के राज कोष में जमा करवाने हेतु तैयार है। मूल रूप से ए से बी जो राजस्व रेकर्ड में नजरीनक्शानुसार रास्ता मार्क ए से बी दर्ज करते हुए भूमि रास्ते की रेकर्ड में दर्ज होना आवश्यक है व अप्रार्थी के मूल खसरा नंबर में से मूल रकबा कम करते हुए रास्ता की भूमि अलग से दर्ज होना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरीनक्शा पेश है जो कि प्रार्थना पत्र का एक अभिन्न अंग है। अप्रार्थीगण के सिवाय अन्य किसी तरफ से कटाणी रास्ता के नजदीक कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के सम्मन पर्याप्त तामिलसुदा प्राप्त है जो पत्रावली में शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत होने तथा अन्य कोई पक्षकार नहीं होने से साक्ष्य जवाव अप्रार्थीगण की आवश्यकता नहीं है। तथा पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत की गई।

   प्रकरण हाजा में न्यायालय आदेश की पालना में मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक जायल मार्फत तहसीलदार जायल दिनांक 15.05.2022 की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल मिशल है। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे नजदीकी रास्ता लगता है। वर्तमान में प्रार्थीगण इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं। प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर कोई भी कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ता का 210 × 20 वर्गफुट = 4200 वर्गफुट अर्थात 0.0390 हैक्टेयर है। इस प्रकार वर्तमान डीएलसी की दर के दो गुणा से 0.0390 हैक्टेयर × 413246 =16116 रू कीम बनती है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

4. हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार जायल की मौका कमिश्नर की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है।

चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत दर्ज प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग के तहत आते है तथा इनका निर्धारित समय सीमा अर्थात 90 दिवस में संबंधित पक्षकारान को सुनकर/सूचित किया जाकर निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। इसलिये पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम सुनवाई हेतु नियत की गई।

5. दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये निवेदन किया कि कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेताय मौजा नोखा जोधा तहसील–जायल में खसरा नं. 36 रकबा 1.0926 हैक्टैयर एवं प्रार्थीगण के सहखातेदारी के खसरा नंबर 200/508 रकबा 0.0405 हैक्टैयर के रूप में स्थित है। प्रार्थीगण के खसरा नंबर 36 में जाने आने के लिये रास्ते की आवश्यकता है तथा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण नजरीनक्शा मार्क ए से बी से काश्त करषण करते आते रहते है। इसी रास्ते से गाड़ी ,छकड़ा इत्यादि को लाते व ले जाते है। इसलिये मार्क ए से बी नजरीनक्शा 20 फीट चौड़ाई का रास्ता न्यायहित में प्रार्थीगण के घोषित किया जाना न्यायोचित है। मौजा नोखा जोधा का खसरा नंबर 200 रकबा 1.3112 हैक्टेयर गैर मुमकिन मंगरा राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। उक्त रास्ता नियमन योग्य है। श्रीमान् तहसीलदार राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी है। इसलिये धारा 80 (2) सीपीसी के तहत पृथक से नोटिस देकर प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नंबर 36 में आने जाने हेतु रास्ता मार्क ए से बी मौजा नोखा जोधा के खसरा नंबर 200 में से 20 फीट चौड़ाई का मार्क ए से बी घोषित किया जावे। 20 फीट चौड़ाई के रास्ते हेतु जो भी सरकारी कीमत तय होगी प्रार्थीगण उक्त राशि राज्य सरकार के राज कोष में जमा करवाने हेतु तैयार है। मूल रूप से ए से बी जो राजस्व रेकर्ड में नजरीनक्शानुसार रास्ता मार्क ए से बी दर्ज करते हुए भूमि रास्ते की रेकर्ड में दर्ज होना आवश्यक है व अप्रार्थी के मूल खसरा नंबर में से मूल रकबा कम करते हुए रास्ता की भूमि अलग से दर्ज होना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरीनक्शा पेश है जो कि प्रार्थना पत्र का एक अभिन्न अंग है। अप्रार्थीगण के सिवाय अन्य किसी तरफ से कटाणी रास्ता के नजदीक कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा पक्षकारान की ओर से पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। प्रार्थीगण अपने खेताय में आने जाने के लिए मौजा नोखा जोधा के खसरा नंबर 200 गैर मुमकिन

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

मंगरा में से आवागमन करते आ रहे है तथा छकड़े , गाड़ी इत्यादि लाते जाते रहकर काश्त करषण कर रहे हैं। खसरा नंबर 200 गैर मुमकिन रास्ता जो कि कटाणी रास्ता पर ही चिपता स्थित है। वर्तमान में भी प्रार्थीगण आते जाते रहते है तथा खसरा नंबर 200 आवागमन हेतु खुला हुआ है।

8. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क प्रावधान के अनुसार किसी भी काश्तकार/खातेदार को रास्ता की आत्यान्तिक रास्ता की आवश्यकता होने तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में कटाणी रास्ते से सबसे नजदीकी व कम दूरी के रास्ते के उपभोग में आने भूमि के एवज में डीएलसी दर की दुगुनी प्रतिकर राशि भुगतान पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। जबकि प्रकरण हाजा में तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अपने खेतों में आने जाने के लिये रास्ते के रूप में खसरा नंबर 200 गैर मुमकिन मंगरा में से उपभोग एवं आवागमन करते रहते है। खसरा नंबर 200 गैर मुमकिन रास्ता जो कि कटाणी रास्ता पर ही चिपता स्थित है। वर्तमान में भी प्रार्थीगण मार्क ए से बी रास्ते द्वारा ही आते जाते रहते है तथा खसरा नंबर 200 गैर मुमकिन मंगरा जो कि आवागमन एवं उपभोग हेतु खुला हुआ है।

9. अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता को सिद्व नहीं करता है। इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा **251क** के उद्देश्यो के विपरित है।

: आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खातेदारी खेत खसरा नं. 36 व 200/508 ग्राम–नोखा जोधा तहसील–जायल में कृषि कार्य हेतु आवागमन व आवश्यक संसाधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के ग्राम–नोखा जोधा तहसील जायल खसरा नं. 200 गैर मुमकिन मंगरा में से माफिक नजरी नक्शा अनुसार 20 फीट चौड़ाई का रास्ता के संबंध में प्रार्थीगण पक्ष द्वारा धारा 251 क के मुख्यतः बिन्दू प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता को साबित नहीं कर पाने तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथों से न्यायालय में पेश नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20/07/2022 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

20/7/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल